(d) the impact of the same on the finances of IRCS?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. He is being paid a sum of Rs. 800/- per month as per the decision of the Managing Body of the Indian Red Cross Society. This amount represents ten per cent of the pay attached to the post of the Secretary General, i.e. Rs. 8000/- per month.

(c) This payment is made to him for discharing the functions of the Secretary General of the said Society.

(d) This has a negligible impact on the finances of the Society.

Amount spent on Photo Identify Cards

*71. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total amount spent on photo identity cards by the Central Government and by various State Governments, State-wise;

(b) whether Government are aware that most of these cards are defective as the photos are not clear and identifiable;

(c) the action taken against the photo identity-card agencies responsible for poor work; and

(d) whether these identity-cards will be used for ensuing elections; if not, who will be held responsible for incurring this wasteful expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) A statement showing details of expenditure incurred so far on issue of photo identity cards in respect of seventeen States is placed on the Table of the House. (*See* below) Information in respect of remaining States is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) According to the Election Commission it is not true to say that most of the photo identity cards are defective.

(c) Action against photo identity cards agencies where required will be taken by the respective States as per the conditions of agreement.

(d) The Election Commission has not yet taken any decision in regard to the use of identity cards for ensuing elections.

Statement

Expenditure incurred so far on preparation of Photo Identity Cards

S. No.	Name of the States	Incurred so far (Rs.)
1.	Andhra Pradesh	55,18,00000
2.	Assam	Nil
3.	Bihar	41,41,69,278
4.	Goa	61,52,188
5.	Haryana	10,74,75,000
6.	Himachal Pradesh	3,37,99,000
7.	Kerala	Nil
8.	Madhya Pradesh	4,61,53,000
9.	Manipur	4,74,91,941
10.	Meghlaya	3,98,43,793
11.	Mizoram	13,21,280
12.	Orissa	30,91,47,000
13.	Punjab	8,47,05,685
14.	Rajasthan	9,85,54,000
15.	Sikkim	58,73,291
16.	Uttar Pradesh	25,60,00,000
17.	West Bengal	54,00,00,000

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी योजना

*72. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 50,000 से एक लाख तक की आबादी वाले द्वितीय श्रेणी के नगरों में बड़े

पैमाने पर फैल रही गंदी बस्तियों में गरीबी दूर करने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो योजना का प्रथम चरण कब शुरू होगा और दूसरा चरण कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सम्पूर्ण योजना के कार्यान्वयन पर होने वाले खर्चे की राशि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग के राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया): (क) जी, हां। प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है।

(ख) इस कार्यक्रम की मोटी-मोटी बातें इस प्रकार हैं:—

— यह कार्यक्रम 50,000 से 1.00 लाख की आबादी वाले सभी 345 श्रेणी-II शहरों पर लागू है।

— शहरी गरीबी के सभी आयामों तथा शहरी गरीबों के लक्ष्य के सभी सेक्टरगत कार्यक्रमों के सहयोजन की कार्य नीति को शामिल करने के लिए "समग्र शहरी परियोजना" का रुख अपनाया जायेगा।

— यह योजना उन शहरों पर लागू होगी, जहां स्थानीय निकायों के चुनाव हो गये हैं।

— स्कीम का उद्देश्य सामाजिक सेक्टर समुदाय को अधिकार प्रदान करने, अनवरत सहायता प्रणाली के जरिए सहयोजन, रोजगार सृजन तथा आश्रय सुधार और पर्यावरणीय सुधार के लक्ष्यों को कारगर ढंग से हासिल करना है।

— इस योजना में संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 को ध्यान में रखकर, कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन में शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी का विचार किया गया है।

— स्कीम में समुदाय, शहरी स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संगठनों व प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी की मार्फत संसाधन जुटाने का भी विचार है। इसमें राष्ट्रीय शहरी-गरीबी उन्मूलन कोष बनाने का भी प्रावधान है जिसमें, 100 प्रतिशत आयकर छूट के साथ प्राइवेट सैक्टर का अंशदान होगा।

— इस स्कीम में हुनर या कौशल विकास के जरिये रोजगार दिया जाएगा।

— अधिकतम यूनिट-लागत 1.00 लाख रुपये रखी गई है जिसमें कुल लागत के 15 प्रतिशत के बराबर इमदाद (सब्सिडी) होगी, जो प्रति लाभग्राही अधिकतम 7,500 रुपये होगी। लाभग्राही को 5 प्रतिशत अंशदान सीमान्त धन के रूप में करना होगा। अदायगी अनुसूची, बैंक द्वारा यथा निर्धारित 6 से 8 महीने की आरम्भिक मियाद माफी के बाद, 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच होगी।

— करीब 30 वर्गफुट के बहुउद्देशीय समुदाय केन्द्र खोले जाएंगे और प्रत्येक केन्द्र न्यूनतम 100 परिवारों के पड़ोस/समूहों के लिये समुदाय स्कूलपूर्व/फलित साक्षरता/अनौपचारिक शिक्षा, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल व सांस्कृतिक केन्द्र आदि के रूप में कार्य करेगा। इस केन्द्र की निर्माण लागत 50:50 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

— शहरी स्लम पर्यावरण सुधार स्कीम में बुनियादी भौतिक सुविधाओं का प्रावधान। अर्थात् (I) शहरी स्लमों का यथा-स्थल पर्यावरण सुधार, जिसके लिये पूरी 100 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम के तहत दी जायेगी; (II) जहां कहीं ऐसा पर्यावरण सुधार किसी स्थायी पुनर्वास स्थल पर या मंजूर इलाके (यथा-स्थल अस्थायी रूप से कब्जे वाली जगह से भिन्न) में करना होगा, वहां विकास खर्च 60:40 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य/संघ राज्यों में बांटा जायेगा।

— इस कार्यक्रम के तहत् समग्र शहर आधार पर जल आपूर्ति, व्यापक सफाई, कूड़ा व कचरा निपटान तथा सड़कों, गलियों, पटरियों,

सामुदायिक स्नानघरों/शौचालयों जैसे छोटे-मोटे निर्माण की बुनियादी भौतिक सुविधाएं देने का प्रस्ताव है, जिनका खर्च 60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य सरकारों को देना होगा।

— आवास निर्माण और आश्रय सुधार की मौजूदा स्कीम 25 प्रतिशत की सब्सिडी (जो प्रति यूनिट 2500/- रुपये तक सीमित होगी) के साथ चलाई जाएगी। इस स्कीम में 10,000 रुपये तक के कर्ज का हुडको या किसी अन्य वित्तीय संस्था से लेने का प्रावधान है।

— राज्य/संघ राज्यों के बीच धन का आबंटन शहरी गरीबी के निपात और कस्बों की संख्या के संदर्भ में किया जाएगा।

— सामुदायिक गतिविधियों के लिए पहले साल 100/- रुपये प्रति व्यक्ति लागत और परवर्ती वर्षों में 75 रु० प्रति व्यक्ति लागत होगी।

— इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा सामुदायिक विकास के उद्देश्य से उन्हें पूर्ण सहयोग देने का प्रावधान है।

— इन कस्बों में नेहरू रोजगार योजना तथा शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा स्कीम के शहरी गरीबी उपशमन के मौजूदा कार्यक्रम के तहत् सुलभ संसाधन, दोहरी राशि प्रावधान से बचने के लिए, अन्य कस्बों को अन्तरित किए जाएंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) और (च) समूची पंचवर्षीय कार्यक्रम अवधि (1995-96 से 1999-2000) के लिए करीब 50 लाख (5 मिलियन) गरीबों की भलाई हेतु, केन्द्रीय हिस्से में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। चालू वित्त वर्ष यानी 1995-96 में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य

*73. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए जन-स्वास्थ्य केन्द्रों से ग्रामीण जनसंख्या भी लाभान्वित हो रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले): (क) से (ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। स्वास्थ्य स्थिति के आंकड़ों से ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी के स्वास्थ्य में गिरावट आने का संकेत नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर 50.6 वर्ष (1976-80) से बढ़कर 56.1 वर्ष (1986—90) हो गई है।

(घ) से (च) ग्रामीण जनसंख्या को उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सीय और परिवार।

Self Lease of Houses

*74. SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA:
SHRI ANANTRAM JAISWAL:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to allow self-lease of houses;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken to solve huge arrears in allotment of houses to Government employees?